



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.10.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.स. 248/21 धारा 34 / 376 IPC व 4 पाक्सो एक्ट व धारा 3(2)5 SC/ST ACT से सम्बन्धित 01 नफ वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र बाजपेई पुत्र तुलसीदास बाजपेई निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जनपद महोबा को पवा चौराहे के पास ग्राम सूपा, थाना चरखारी से गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय
2. कां0 अश्वनी कुमार थाना चरखारी

गिरफ्तार अभियुक्त -

धर्मेन्द्र बाजपेई पुत्र तुलसीदास बाजपेई निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.10.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री तेज बहादुर सिंह के पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दृष्टिगत थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री सुनील कुमार तिवारी द्वारा गठित उ0नि0 सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम ने अभियान के शामिल होकर अवैध शस्त्र सहित 02 नफर अभियुक्तों को 01 अदद 12 बोर अवैध तमंचा व 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर अवैध के साथ 02 नफर अभियुक्त क्रमशः 1. सतीश राजपूत पुत्र जयद्रथ राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष 2. दुलीचन्द्र राजपूत पुत्र सियाराम राजपूत उम्र करीब 36 वर्ष को अमानपुरा ओवर ब्रिज के पास गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 138/21 व मु.अ.सं. 139/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सतीश राजपूत पुत्र जयद्रथ राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष
 2. दुलीचन्द्र राजपूत पुत्र सियाराम राजपूत उम्र करीब 36 वर्ष
- निवासीगण ग्राम छितरवारा थाना महोबकंठ जिला महोबा



गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. सुनील कुमार
2. कां. सज्जनलाल
3. कां. सौरभ सिंह



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.10.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित वारण्टी गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित उ0नि0 राजेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 268/21 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज अधि0 व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवा0 अधि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त सुल्तान खान पुत्र अहमद खान उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मु0 फतेहपुर कस्बा व थाना मौदहा जिला हमीरपुर को मुखबिर खास की सूचना पर बाँदा तिराहा से गिरफ्तार करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0 नि0 राजेश कुमार मिश्र
2. हो0गा0 तीरथ प्रसाद

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

सुल्तान खान पुत्र अहमद खान उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मु0 फतेहपुर कस्बा व थाना मौदहा जिला हमीरपुर।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



बालिकाओं एवं महिलाओं को उनकी सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रति किया जा रहा है जागरूक...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ किये जाने के उद्देश्य से आज दिनांक 05.10.2021 को थाना कोतवाली महोबा क्षेत्र में नोडल अधिकारी मिशनशक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह मय टीम द्वारा ग्राम रैपुराकला के पंचायतभवन में तथा महिला थाना प्रभारी उ०नि० शिल्पी शुक्ला द्वारा मुख्यालय के ऊदलचौक पर व उ०नि० ज्ञानेन्द्र कुमार, मय म०कां० के साथ थाना खरेला में व जनपद की अन्य पुलिस टीमों द्वारा जनपद स्तर पर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों प्रति जागरूक किया गया।

बालिकाओं/छात्राओं से पूंछा जा रहा है कि वह कौन-कौन से स्थान हैं जहां पर मनचलों द्वारा उनको परेशान किया जाता है/फब्तियां कसी जाती हैं तथा कहां पर छात्राओं को एण्टीरोमियो टीम की आवश्यकता ज्यादा महसूस होती हैं ..? जिससे ऐसे स्थानों को चयनित कर शोहदों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

इसी क्रम में एण्टी रोमियो टीम द्वारा सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है जिसमें उनको हेल्पलाइन नम्बरों वूमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्प लाइन-181, आपातकाल सेवा-112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, सभी को साइबर अपराध हेल्पलाइन- 155260 एवं महिला कानूनों के साथ-साथ सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 02 नफर अभियुक्ताओं को अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.10.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह के पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराही कर्मचारी गण के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर अवैध शराब के साथ 02 महिला अभियुक्ता क्रमशः 1. पूजा पत्नी वीरेन्द्र कबूतरा उम्र 32 वर्ष 2. बबीता पत्नी अजय कबूतरा उम्र 29 को मय 01 – 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में क्रमशः 15 – 15 लीटर कुल 30 लीटर कच्ची महुआ शराब नाजायज के साथ मुढ़ारी तिराहा से मुढ़ारी कबूतरा को जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर क्रमशः

मु0अ0सं0 239/21 व मु0अ0सं0 240/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्ता -

- (1) पूजा पत्नी वीरेन्द्र कबूतरा उम्र 32 वर्ष
- (2) बबीता पत्नी अजय कबूतरा उम्र 29

निवासी मुढ़ारी कबूतरा डेरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस-

1. उ0नि0 सचिन कुमार
2. कां0 महेन्द्र प्रताप सिंह
3. महिला कां0 सुनीता देवी





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने 30 ली0 कच्ची अवैध शराब सहित दो नफर अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.10.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री

तेज बहादुर सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष लाखन सिंह द्वारा गठित टीम व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम अभियान में शामिल होकर मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तागण क्रमशः 1 रागिनी पत्नी सुसेन्द्र कबूतरा उम्र 28 वर्ष 2. रीना पत्नी गोपाल कबूतरा उम्र 45 वर्ष नि. गण कबूतरा डेरा खोई जनपद महोबा के कब्जे से एक-एक प्लास्टिक के डिब्बे में 15 -15 ली. कच्ची शराब नाजायज बरामद की गई ,जिनके विरुद्ध थाना हाजा पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए **मु.अ.सं. 176 व 177/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत** किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

1. रागिनी पत्नी सुसेन्द्र कबूतरा उम्र 28 वर्ष
2. रीना पत्नी गोपाल कबूतरा उम्र 45 वर्ष निवासी गण कबूतरा डेरा खोई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम-

1. वरिष्ठ उ.नि. रामप्रताप यादव थाना अजनर जनपद महोबा
2. का. आसवेन्द्र सिंह
- 3.हो0गा0 प्रेमनारायण
- 4.आबकारी निरीक्षक योगेश कुमार
- 5.आबकारी का. विक्रम सिंह
- 6.आबकारी का.अभिषेक कुशवाहा
- 7.आबकारी म0हो0गा0 महिला रामेश्वरी सोनी



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



जनपदीय पुलिस द्वारा पुलिस बल के साथ अपने-अपने थाना क्षेत्र में पैदल गस्त कर की गई संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **171 ई-चालान** किये गये तथा कोविड नियमों के उल्लंघन पर **09** व्यक्तियों से **1400 रु0** वसूला गया ।



आज दिनांक 05.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police